न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– **श्री लाखाराम (आर.ए.एस.)**

राजस्व वादपत्र संख्या :– **56 / 2020**

वादीगण

1. पदमाराम पुत्र राजूराम उम्र 60 वर्ष
2. पुराराम पुत्र राजूराम उम्र 52 वर्ष
3. पूनमाराम पुत्र राजूराम फौत के वारिशान
   3/1 जोगाराम पुत्र पूनमाराम उम्र 54वर्ष
   3/2 मोतीराम पुत्र पूनमाराम उम्र 50वर्ष
   3/3 कोजाराम पुत्र पूनमाराम उम्र 40वर्ष
   3/4 जैसाराम पुत्र पूनमाराम उम्र 40वर्ष
4. गिरधारीराम पुत्र पेमाराम उम्र 55वर्ष
5. रामचन्द्र पुत्र वनाराम उम्र 35 वर्ष
6. किशनाराम पुत्र वनाराम उम्र 65वर्ष
7. तारों पत्नी वनाराम उम्र 65वर्ष
8. चेतनराम पुत्र पेमाराम उम्र 45वर्ष
9. मगाराम पुत्र हिमथाराम उम्र 85वर्ष
10. फूसाराम पुत्र ताजाराम उम्र 45वर्ष

सभी जातियान जाट, निवासी आलमसरिया, पटवार क्षेत्र उड़ासर, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर, राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. खेमाराम पुत्र रूपाराम उम्र 55वर्ष
2. हीराराम पुत्र रूपाराम उम्र 50वर्ष
3. गंगाराम पुत्र रूपाराम उम्र 45वर्ष
4. जेठाराम पुत्र रूपाराम उम्र 40वर्ष, सभी जातियान जाट, निवासी आलमसरिया, पटवार क्षेत्र उड़ासर, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर, राजस्थान।
5. रूखी पत्नी रूपाराम के वारीसान प्रतिवादी संख्या 1 से 4
6. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा धोरीमन्ना।
7. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 92क, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा, बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा

तारीख रजू : 21/08/20

अधिवक्ता : श्री देवाराम चौधरी, अधिवक्ता वादीगण

–::निर्णय::–

दिनांक : 26/07/23

Signature Not Verified
Digitally signed by Kes... Meena
Date: 2024.11.06 13:42...
Reason: SelfAttested

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 92क, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा, बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 से 5 तक की संयुक्त खातेदारी की भूमि तहसील धोरीमन्ना पटवार मण्डल उड़ासर राजस्व ग्राम आलमसरिया के खेत खसरा नम्बर 19, 20, 32 रकबा क्रमशः 1–02, 189–00, 203–11 बीघा कुल रकबा 393–13 बीघा किस्म गैर मुमकिन ढाणी, बारानी सोयम, बारानी सोयम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, जो आगामी पदों में वादग्रस्त आराजी से संबोधित किया जाएगा। संलग्न नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रैस साथ पेश है। वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 05 तक जाति से जाट होने, हिन्दू होने से हिन्दू विधि से शासित है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 से 5 की वंशावली निम्न प्रकार है।

26.07.23
सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

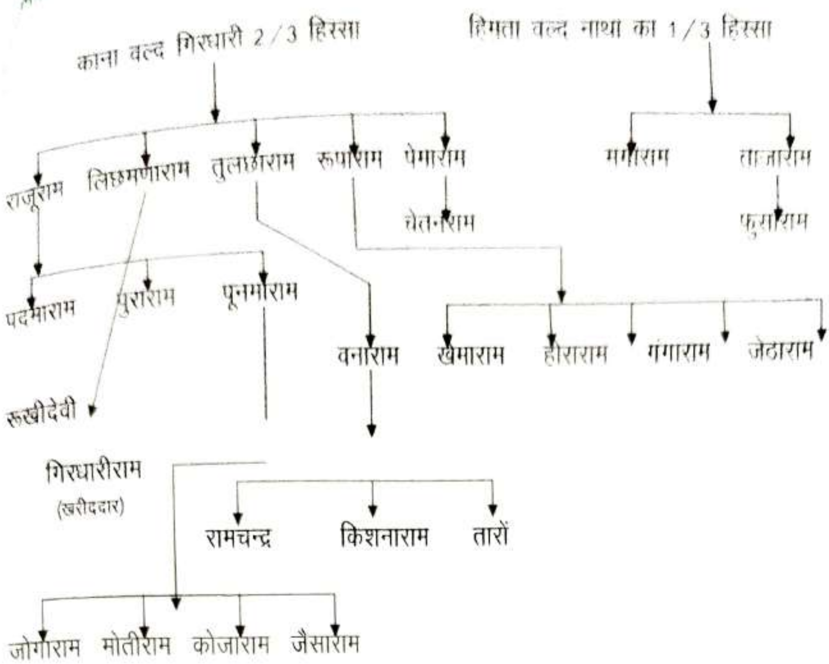

वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट में राजूराम लिछमणाराम, तुलछाराम, रूपाराम, पेमाराम पि. काना 2/3 हिस्सा मगाराम, ताजाराम पि. हिमताराम 1/3 हिस्सा के नाम दर्ज हुई थी, राजूराम फौत होने से वादी संख्या 1 से 3 पदमाराम, पुराराम पूनमाराम, के नाम दर्ज हुई, पूनमाराम के फौत होने से वादी संख्या 3/1 से 3/4 तक जोगाराम, मोतीराम, कोजाराम, जैसाराम के नाम, लिछमणाराम ने अपने जीवनकाल में अपनी सम्पूर्ण भूमि वादी संख्या 04 गिरधारीराम पुत्र पेमाराम को दिनांक 23.06.1993 पंजीयन क्रमांक 238/93 को बेचान कर दिया, तुलछाराम फौत होने से उनके पुत्र वनाराम के नाम दर्ज हुई वनाराम फौत होने से वादी संख्या 5 से 7 रामचन्द्र, किशनाराम, तारों के नाम दर्ज हुई, रूपाराम फौत होने से उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज हुई थी पेमाराम फौत होने से वादी संख्या 8 चेतनराम व गिरधारीराम के नाम दर्ज हुई थी बाद गिरधारीराम ने अपना हक चेतनराम के पक्ष में हकतर्क करा दिया, वादी संख्या 09 मगाराम खुद के नाम दर्ज है, ताजाराम फौत होने से वादी संख्या 10 फूसाराम के नाम से दर्ज है। वादग्रस्त आराजी तहसील धोरीमन्ना पटवार मण्डल उड़ासर राजस्व ग्राम आलमसरिया के खेत खसरा नम्बर 19, 20, 52 रकबा क्रमशः 1–02, 189–00, 203–11 बीघा कुल रकबा 393–13 बीघा किस्म गैर मुमकिन ढाणी, बारानी सोयम, बारानी सोयम संयुक्त खातेदारी पैतृक, पुस्तैनी व क्रय सुदा है जिसमें वादी संख्या 01 से 03 तक (पूर्वज राजूराम) का 2/15 हिस्सा यानि रकबा 52–10 बीघा, वादी संख्या 04 (लिछमणाराम से क्रय की थी) का 2/15 हिस्सा यानि रकबा 52–09 बीघा, वादी संख्या 05 से 07 तक (पूर्वज तुलछाराम) का 2/15 हिस्सा यानि रकबा 52–10 बीघा, वादी सं. 08 (पूर्वज पेमाराम) का 2/15 हिस्सा यानि रकबा 52–10 बीघा, वादी संख्या 09 का 1/6 हिस्सा यानि रकबा 65–12 बीघा, वादी संख्या 10 (पूर्वज ताजाराम) का 1/6 हिस्सा यानि रकबा 65–12 बीघा तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 05 (पूर्वज रूपाराम) का 2/15 हिस्सा यानि रकबा 52–10 बीघा भूमि बंट आती है। विवादित आराजी में पैरा संख्या 04 में वर्णित हिस्सा अनुरूप वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 कब्जा काश्त है परन्तु राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा व घोषणा नहीं की हुई है एवं राजस्व रेकर्ड में भूमि शामलाती दर्ज है, साथ ही वर्तमान में भूमि की कीमतों में आई बढ़ोतरी के मध्यनजर प्रतिवादी संख्या 01 से 04 वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में हस्तक्षेप करते रहते हैं व अन्य से भी करवाते हैं, साथ ही भूमि संयुक्त होने से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में हस्तक्षेप करते रहते हैं व अन्य से भी करवाते हैं, साथ ही भूमि संयुक्त होने से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के बीच में हिस्से पूर्ण रूप से खुल्ले नहीं होने व

Signature Not Ve
Digitally signed by Ke
Meena
Date: 2024.11.06 13:4
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर जिला-बाड़मेर

26.07.23
सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

बटवारा नही होने के कारण खेत के हिस्से को लेकर विवाद रहता है तथा मौके पर भूमि का विधिवत रूप से बंटवाडा नहीं होने से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के मध्य भूमि के सेढो को लेकर झगडा रहता है. प्रतिवादी संख्या 01 से 04 तक वादीगण के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त मे लगातार दखलअंदाजी कर रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 01 से 04 वादीगण के साथ अनबन होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के हिस्से की समस्त भूमि का बेचान अजनबी व्यक्तियों को करने पर अमादा है तथा अजनबी व्यक्तियों को वादीगण के कब्जे काश्त मे स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है इस तथ्य को लेकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के मध्य तनाव की स्थिति बनी रहती है. इसलिए वादीगण वादग्रस्त आराजी मे प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की सामलाती भूमि में से अपने हिस्से की भूमि की घोषणा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड मे स्वयं के नाम अलग दर्ज करवाना चाहते हैं जिसके लिए यह वाद वास्ते हिस्से की घोषणा का श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत करना पड रहा है। वादीगण व प्रतिवादी स. 01 से 04 के मध्य विवादित आराजी का न तो विधिवत बंटवाडा हुआ है किन्तु

अरसा 1 माह से प्रतिवादी संख्या 01 से 04 वादीगण के कब्जे काश्त मे अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप कर वादग्रस्त भूमि अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने पर प्रयासरत है. ऐसी स्थिति मे वादीगण विवादित आराजी का बंटवाडा भूमि का उपजाऊपन, धोरा, समतल/डेरी, दूसरे गांव की सीमा पर ऑवरलेप, सडक पर समान भाग, आने–जाने रास्ते की सुविधा की दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए भूमि का बराबर बंटवारा करवाकर अपने–अपने हिस्से की भूमि शेष भूमि से बंटवाड़ा करवाकर राजस्व रेकर्ड में अलग करवाने के अधिकारी हैं साथ ही वादीगण अपने–अपने हिस्से वादी संख्या 01 से 03 तक का 2/15 हिस्सा यानि रकबा 52–10 बीघा, वादी संख्या 04 का 2/15 हिस्सा यानि रकबा 52–09 बीघा, वादी संख्या 05 से 07 तक का 2/15 हिस्सा यानि रकबा 52–10 बीघा, वादी संख्या 08 का 2/15 हिस्सा यानि रकबा 52–10 बीघा, वादी संख्या 09 का 1/6 हिस्सा यानि रकबा 65–12 बीघा, वादी संख्या 10 का 1/6 हिस्सा यानि रकबा 65–12 बीघा अनुसार लगान का बंटवाड़ा करवाकर अलग रंग भरना चाहते हैं। जिसकी पूर्ति के लिए यह वाद वास्ते बंटवाड़े का श्रीमान् जी के समक्ष पेश है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर वादग्रस्त आराजी में वादी संख्या 01 से 03 तक (पूर्वज राजूराम) का 2/15 हिस्सा यानि रकबा 52–10 बीघा, वादी संख्या 04 (लिछमणाराम से क्रय की थी) का 2/15 हिस्सा यानि रकबा 52–09 बीघा, वादी संख्या 05 से 07 तक (पूर्वज तुलछाराम) का 2/15 हिस्सा यानि रकबा 52–10 बीघा, वादी संख्या 08 (पूर्वज पेमाराम) का 2/15 हिस्सा यानि रकबा 52–10 बीघा, वादी संख्या 09 का 1/6 हिस्सा यानि रकबा 65–12 बीघा, वादी संख्या 10 (पूर्वज ताजाराम) का 1/6 हिस्सा यानि रकबा 65–12 बीघा तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 05 (पूर्वज रूपाराम) का 2/15 हिस्सा यानि रकबा 52–10 बीघा खातेदारी में घोषित व बंटवारा करवाने के विधिक अधिकारी हैं। इसके साथ ही, वादीगण अपने पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी हैं कि पटवार मण्डल उड़ासर राजस्व ग्राम आलमसरिया के खेत खसरा नम्बर 19, 20, 52 रकबा क्रमशः 1–02, 189–00, 203–11 बीघा कुल रकबा 393–13 बीघा किस्म गैर मुमकिन ढाणी, बारानी सोयम, बारानी की भूमि में वादीगण के उपरोक्त वर्णित हिस्सों व बंटवारा में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें और न ही वादीगण के हिस्से व बंट पर जबरन कब्जा करने से प्रतिवादी संख्या 01 से 04 तक पाबंदित करवाएं, जिसकी पूर्ति यह वाद स्थायी निषेधाज्ञा का पेश है। वादीगण अनपढ़ तथा शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति होने से कानून व्यवस्था [illegible] रखते हैं और प्रतिवादी संख्या 01 से 04 व उनके परिवार के सदस्य ज्यादा तादाद में होने [illegible] व झगड़ालू प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो कानून को हाथ में लेकर वादीगण के बंट की भूमि [illegible] काश्त करने में रुकावट पैदा कर रहे हैं व अजनबी क्रेता को बेचान करने के लिए [illegible] जबरन बेदखल कर जबरन कब्जा करने हेतु प्रतिवादी संख्या 01 से 04 व उनके परिवार अर्सा एक माह से लगातार करने की धमकियां दे रहे हैं, तब से वाद कारण उत्पन्न हुआ है। बिनायदावा बहक

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:42:17 IST
Reason: SelfAttested

26.07.23

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 जब विवादित आराजी वक्त सेटलमेंट वादीगण के पूर्वज के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई तब, एवं वादीगण का हक हिस्सा राजस्व रेकर्ड में खुल्ला हुआ न होने से एवं विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से वादीगण को अपने हक हिस्से की भूमि पर ऋण सरकारी योजना आदि लेने में कठिनाई पैदा हुई तब एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 तक बिना बंटवाड़े हुए विवादित आराजी को किसी झगडालू एवं प्रभावी व्यक्तियों को बेचान करने पर उतारू हुए तब तब वादकारण ग्राम आलमसरिया पटवार मण्डल उड़ासर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में पैदा हुआ। कृषि भूमि होने भूमिपति तहसीलदार धोरीमन्ना को प्रफोर्मा प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है जिससे कोई इस्तदुआ नहीं चाहने से धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिए बिना यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है बंटवारा का दावा होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। तथा भूमि बैंक में रहन होने से बैंक को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वादग्रस्त भूमि ग्राम आलमसरिया पटवार मण्डल उड़ासर तहसील धोरीमन्ना में स्थित होने से व उक्त राजस्व ग्राम में वादकरण उत्पन्न होने से यह वाद माननीय न्यायालय के आर्थिक व स्थानीय क्षेत्राधिकार का है। यह राजस्व वाद धारा 88, 53, 92क, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत होने से निश्चित कोर्टफीस रुपए 5/– के स्टाम्प पेश है और वाद अन्दर मयाद पेश है। वादीगण की इस्तदुआ है कि निम्नांकित डिक्री बहक वादीगण व खिलाफ प्रतिवादी संख्या 01 से 04 सादिर फरमाई जावे। विवादित आराजी तहसील धोरीमन्ना पटवार मण्डल उड़ासर राजस्व ग्राम आलमसरिया के खेत खसरा नम्बर 19, 20, 52 रकबा क्रमशः 1–02, 189–00, 203–11 बीघा कुल रकबा 393–13 बीघा किस्म गैर मुमकिन ढाणी, बारानी सोयम, बारानी सोयम संयुक्त खातेदारी पैतृक, पुस्तैनी व क्रय सुदा है जिसमें वादी संख्या 01 से 03 तक (पूर्वज राजूराम) का 2/15 हिस्सा यानि रकबा 52–10 बीघा, वादी संख्या 04 (लिछमणाराम से क्रय की थी) का 2/15 हिस्सा यानि रकबा 52–09 बीघा, वादी संख्या 05 से 07 तक (पूर्वज तुलछाराम) का 2/15 हिस्सा यानि रकबा 52–10 बीघा, वादी सं. 08 (पूर्वज पेमाराम) का 2/15 हिस्सा यानि रकबा 52–10 बीघा, वादी संख्या 09 का 1/6 हिस्सा यानि रकबा 65–12 बीघा, वादी संख्या 10 (पूर्वज ताजाराम) का 1/6 हिस्सा यानि रकबा 65–12 बीघा तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 05 (पूर्वज रूपाराम) का 2/15 हिस्सा यानि रकबा 52–10 बीघा की खातेदारी घोषित किया जावे। वाद घोषणा वादी संख्या 1 से 3 तक का 2/15 हिस्सा यानि रकबा 52–10 बीघा, वादी संख्या 04 का 2/15 हिस्सा यानि रकबा 52–09 बीघा, वादी संख्या 05 से 07 तक का 2/15 हिस्सा यानि रकबा 52–10 बीघा, वादी संख्या 08 का 2/15 हिस्सा यानि रकबा 52–10 बीघा, वादी संख्या 09 का 1/6 हिस्सा यानि रकबा 65–12 बीघा, वादी संख्या 10 का 1/6 हिस्सा यानि रकबा 65–12 बीघा की भूमि उपजाऊपन, धोरा, समतल/डेरी, दूसरे गांव की सीमा पर ऑवरलेप, सड़क पर समान भाग, आने–जाने रास्ते की सुविधा की दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए भूमि का बराबर बंटवारा अलग कर अलग खाता कायम किया जावे ताकि भूमि समान रूप से समान पैदावार से आने–जाने की सुविधा, धोरा–समतल एक समान हो जाए। वाद घोषणा व बंटवाड़ा वादीगण को प्राप्त होने वाली भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 से 04 उनके परिवार के सदस्य व प्रतिनिधि किसी प्रकार की दंखलअंदाजी व हस्तक्षेप, बाधा व परिवर्तन नहीं करें, तथा वादीगण को अपने कब्जे काश्त की भूमि तक आने–जाने में किसी प्रकार की बाधा नहीं करें राजस्व व मौके पर रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें, जिस हेतु प्रतिवादी संख्या 01 से 04 उनके परिवार के सदस्य व प्रतिनिधि को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंदित किया जावे। अन्य सहायता जो वाद की जांच से वादीगण के पक्ष में प्रमाणित हो वो वादीगण को दिलवाई जावे और धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, सपठित आदेश 7 नियम 7 व सहपठित धारा 151 सीपीसी के तहत वादीगण इस्तदुआ प्राप्त करने का हकदार बनता हो वो दिलवाई जावे।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजि. किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिए रजि. डाक तलब किया गया, अप्रार्थीगण वाबजूद सम्यक् तामिल, से अनुपस्थित रहने से इनके

Signature Not Ve
Digitally signed by Ke
Meena
Date: 2024.11.06 13:
Reason: SelfAttested

26.07.23
सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा पत्रावली को साक्ष्य वादी में नियत किया गया। दौराने विचारण हस्तगत वाद में वादी संख्या 09 मगाराम पुत्र हिमथाराम फौत हो जाने के कारण आदेश 22 नियम 03 के तहत इनके कायम मुकाम को प्रकरण में 9/1 रामाराम पुत्र मगाराम को पक्षकार संयोजित किया गया। साक्ष्य वादी के दौरान वादी पदमाराम का बयान सहित साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू-01, वादी रामचन्द्र का बयान सहित साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू-02, वादी चेतनराम का बयान सहित साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू-03, वादी फुसाराम का बयान सहित साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू-04, वादी रामाराम का बयान सहित शपथ पत्र पीडब्ल्यू-05, वादी गिरधारीराम का बयान सहित साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू-06 पेश किए गए तथा साक्ष्य वादी के दौरान आवश्यक दस्तावेजात को प्रदर्श किया गया तथा साक्ष्य वादी को बंद किया जाकर पत्रावली को बहस में नियत किया गया।

हमने बहस विद्वान अधिवक्ता विस्तारपूर्वक सुनी तथा पत्रावली तथा पत्रावली पर उपस्थित समस्त दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। हमने प्रदर्श पी-01 खतौनी बंदोबस्त संवत् 2012-31 ग्राम आलमसरिया तहसील बाड़मेर (तत्कालीन) के खाता संख्या 32 का अध्ययन किया, उक्त के अध्ययन से स्पष्ट है कि राजू, लिछमण, तुलछा, रूपा, पेमा पि. काना हिस्सा 2/3, मगा, ताजा पि. हिमता हिस्सा 1/3 के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रदर्श पी-02 प्रथम खतौनी में भी प्रदर्श पी-01 के तथ्यों की पूर्णतः पुष्टि होती है। हमने प्रदर्श पी-05 बैचान दस्तावेज संख्या 338/93 का अध्ययन किया, प्रदर्श पी-05 के अध्ययन से स्पष्ट है कि लिछमणा वल्द काना द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपना संपूर्ण 2/15 हिस्सा गिरधारीराम वल्द पेमाराम को 31765 रुपए में बैचान किया गया। नामांतरकरण संख्या 101 प्रदर्श पी-06 के अध्ययन से स्पष्ट है कि उक्त नामांतरकरण, बैचान दस्तावेज प्रदर्श पी-05 की पालना में में पारित किया गया। प्रदर्श पी-07 के अध्ययन से स्पष्ट है कि नामांतरकरण संख्या 42 राजस्व मौजा आलमसरिया खातेदार राजू के फौत होने के उपरांत उसके वारिसान पूनमा, पदमा, पूरा पि. राजू के पक्ष में पारित किया गया। प्रदर्श पी-08 के अध्ययन से स्पष्ट है कि नामांतरकरण संख्या 93 राजस्व मौजा आलमसरिया खातेदार ताजा के फौत होने के उपरांत उसके वारिस फूसा वल्द ताजा के पक्ष में पारित किया गया। प्रदर्श पी-09 के अध्ययन से स्पष्ट है कि नामांतरकरण संख्या 164 राजस्व मौजा आलमसरिया खातेदार रूपा वल्द काना के फौत होने के उपरांत उसके वारिसान खेमाराम, हिराराम, गंगाराम, जेठाराम पि. रूपा एवं रूखी पत्नी रूपा के पक्ष में पारित किया गया। प्रदर्श पी-10 के अध्ययन से स्पष्ट है कि नामांतरकरण संख्या 174 राजस्व मौजा आलमसरिया खातेदार तुलछा वल्द काना के फौत होने के उपरांत उसके वारिसान रामचन्द्र, किशनाराम पि. वनाराम तथा तारा पत्नी वनाराम एवं कसुम्बी पत्नी तुलछाराम के पक्ष में पारित किया गया। प्रदर्श पी-11 के अध्ययन से स्पष्ट है कि नामांतरकरण संख्या 180 राजस्व मौजा आलमसरिया खातेदार पेमा वल्द काना के फौत होने एवं गिरधारी पुत्र पेमा द्वारा अपना हिस्सा चेतनराम पुत्र पेमा के पक्ष में छोड़ने के उपरांत उसके वारिस चेतनराम पुत्र पेमाराम के पक्ष में पारित किया गया। प्रदर्श पी-12 के अध्ययन से स्पष्ट है कि नामांतरकरण संख्या 191 राजस्व मौजा आलमसरिया खातेदार कसुम्बी पत्नी तुलछाराम के [illegible] उसके वारिसान रामचन्द्र, किशनाराम पि. वनाराम एवं तारों पत्नी वनाराम के पक्ष में प[illegible] गया। प्रदर्श पी-13 के अध्ययन से स्पष्ट है कि नामांतरकरण [illegible] आलमसरिया खातेदार मगा वल्द हिमता के फौत एवं केंसी पुत्री मगा एवं पूरा पुत्री मगा [illegible] हक त्याग करने के उपरांत रामाराम पुत्र मगाराम के पक्ष में पारित किया गया। प्रदर्श पी-15 [illegible] राजस्व मौजा आलमसरिया, पटवार हल्का उड़ासर के खाता संख्या 37 [illegible] अध्ययन से स्पष्ट है कि वादी संख्या 01 ता 03 (राजू वल्द काना के वारिसों) का वादग्रस्त आराजी में 2/15 हिस्सा, वादी संख्या 04 का 2/15 हिस्सा, वादी संख्या 05 ता 07 (तुलछा वल्द काना के वारिसों) का 2/15 हिस्सा, वादी संख्या 08 (पेमाराम का वारिस) का 2/15 हिस्सा, वादी संख्या 9/1 (मगा वल्द हिमता का वारिस) का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 10 (ताजा वल्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:42:17 IST
Reason: SelfAttested

26.07.24
सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

हिम्मता का वारिस) का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 (रूपा वल्द काना के वारिसान) का 2/15 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी संख्या 03 पूनमाराम पुत्र राजूराम के फौत होने के उपरांत उनके वारिसान 3/1 ता 3/4 को पक्षकार बनाया गया। वर्तमान राजस्व अभिलेख के अध्ययन से स्पष्ट है कि वादी संख्या 01 ता 02 एवं 04 ता 10 तथा प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 अपने-अपने हक हिस्से में बतौर खातेदार दर्ज हैं। लिहाजा इनके हिस्सा अनुरूप बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स के विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री किया जाना प्रकरण को उचित समझते हैं। प्रदर्श पी-17ए के अध्ययन से स्पष्ट है कि हेमीदेवी पुत्री पूनमाराम द्वारा अपने हक की आराजी का हकतर्क वादी 3/1 ता 3/4 के पक्ष में किया, अतः वादी संख्या 03 पूनमाराम पुत्र राजूराम के कायम मुकाम 3/1 ता 3/4 को पूनमाराम के 2/45 हिस्से में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं लिहाजा हमने प्रकरण में अपने-अपने हिस्से की आराजी का बाई-मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के खातेदारी अधिकारों की घोषणा के उपरांत बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा आलमसरिया पटवार हल्का **उड़ासर, तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 19, 20, 52 रकबा क्रमशः 0.1781, 30.5942, 32.9495 हैक्टेयर किस्म क्रमशः गै.मु. ढाणी, बारानी सोयम, बारानी सोयम का बंटवाड़ा राजस्व अभिलेखों में घोषणा उपरांत वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती एवं कब्जे काश्त की आराजी के संबंध में खाता एवं लगान अलग-अलग दर्शाकर बंटवाड़ा मय नजरी नक्शा बनाए जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार धोरीमना को अधिकृत किया जाकर पत्रांक:कोर्ट/2023/184 दिनांक 13.04.2023 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार धोरीमना ने अपने पत्रांक:भू.अ./2023/1097 दिनांक 29.06.2023 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया, बहस अधिवक्ता की सुनी गई, दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण ने निवेदन किया कि माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिकि किया जाकर बंटवाड़ा किया जाने की इस्तदुआ की है तथा दौराने बहस निवेदन किया कि हमें बंटवाड़ा रिपोर्ट स्वीकार है लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट वादीगण का वाद अंतिम डिकि किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।**

—:: आदेश ::—

अतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा— आलमसरिया पटवार हल्का उड़ासर, तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि की वर्तमान जमांबदी के खाता संख्या 37 के खसरा संख्या 19, 20, 52 रकबा क्रमशः 0.1781, 30.5942, 32.9495 हैक्टेयर किस्म क्रमशः गै.मु. ढाणी, बारानी सोयम, बारानी सोयम की भूमि का बंटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:—

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा सं.	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	[illegible] (रुपए)	[illegible]
1.	पदमाराम, पूराराम पि. राजूराम, जोगाराम, मोतीराम, कोजाराम, जैसाराम पि. पूनमाराम, कौम जाट सा. देह खातेदार	20	1.8535	बारानी सोयम	0.45	के[illegible]
		20	2.6385	बारानी सोयम	0.60	
		52	3.3912	बारानी सोयम	0.75	

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Ku
Meena
Date: 2024.11.06 13:42:17 IS
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर
26.07.23
सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

2.	गिरधारीराम पुत्र पैमाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार	20	5.6656	बारानी सोयम	1.35	हरा
		52	2.2176	बारानी सोयम	0.55	
3.	रामचन्द्र, किशनाराम पि. वनाराराम, तारों देवी पत्नी वनाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार	20	1.6025	बारानी सोयम	0.35	भूरा
		20	3.0270	बारानी सोयम	0.80	
		52	3.2537	बारानी सोयम	0.73	
4.	चेतनराम पुत्र पेमाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार	19	0.1781	गै.मु.ढाणी	–	नीला
		20	1.9991	बारानी सोयम	0.60	
		20	2.1934	बारानी सोयम	0.90	
		52	3.4479	बारानी सोयम	0.80	
5.	रामाराम पुत्र मगाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार	20	7.6081	बारानी सोयम	3.30	बैंगनी
		52	2.1691	बारानी सोयम	0.65	
6.	फुसाराम पुत्र ताजाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार	52	9.9391	बारानी सोयम	4.48	गुलाबी
7.	खेमाराम, हीराराम, गंगाराम, जेठाराम पि. रूपाराम, रूखी पत्नी रूपाराम, कौम जाट, सा. देह खातेदार	20	3.7474	बारानी सोयम	0.80	काला
		52	4.1359	बारानी सोयम	1.10	
8.	पदमाराम, पूराराम पि. राजूराम, जोगाराम, मोतीराम, कोजाराम, जैसाराम पि. पूनमाराम, गिरधारीराम पुत्र पेमाराम, रामचन्द्र, किशनाराम पि. वनाराम, तारों देवी पत्नी वनाराम, चेतनराम पुत्र पेमाराम, रामाराम पुत्र मगाराम, फुसाराम पुत्र ताजाराम, खेमाराम, हीराराम, गंगाराम, जेठाराम पि. रूपाराम, रूखी पत्नी रूपाराम, कौम जाट सा.देह खातेदार	52	4.2330	बारानी सोयम	0.85	लाल
		52	0.1619	गै.मु. रास्ता	–	
		20	0.2590	गै.मु. रास्ता	–	
योग		19	0.1781		–	
		20	30.5941		9.18	
		52	32.9494		9.88	

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:42:17 IST
Reason: SelfAttested

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। ब[illegible]ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग [illegible] जावे। [illegible] के [illegible]–काश्त में दखलअंदाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता [illegible] साथ ही रास्ते के रूप में प्रयुक्त सामलाती भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा [illegible] करने तथा फसल उत्पाद को लाने–ले जाने, कृषि यंत्रों को लाने–ले–जाने, [illegible] की देखभाल हेतु आने–जाने, सिंचाई हेतु पानी को लाने–ले–जाने में एक–दूसरे को किसी प्रकार की

26.07.23
सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

बाधा/रुकावट पैदा नहीं करें अन्तिम डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर जमा हो।

26.07.23

(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना
सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक– 26/07/23 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

26.07.23

(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:42:17 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम धोरीमन्ना

बईजलास :–श्री लाखाराम (आर.ए.एस.)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. पदमाराम पुत्र राजूराम उम्र 60 वर्ष 2. पुराराम पुत्र राजूराम उम्र 52 वर्ष 3. पूनमाराम पुत्र राजूराम फौत के वारिशान 3/1 जोगाराम पुत्र पूनमाराम उम्र 54वर्ष 3/2 मोतीराम पुत्र पूनमाराम उम्र 50वर्ष 3/3 कोजाराम पुत्र पूनमाराम उम्र 40वर्ष 3/4 जैसाराम पुत्र पूनमाराम उम्र 40वर्ष 4. गिरधारीराम पुत्र पेमाराम उम्र 55वर्ष 5. रामचन्द्र पुत्र वनाराम उम्र 35 वर्ष 6. किशनाराम पुत्र वनाराम उम्र 65वर्ष 7. तारों पत्नी वनाराम उम्र 65वर्ष 8. चेतनराम पुत्र पेमाराम उम्र 45वर्ष 9. मगाराम पुत्र हिमथाराम उम्र 85वर्ष 10. फूसाराम पुत्र ताजाराम उम्र 45वर्ष सभी जातियान जाट, निवासी आलमसरिया, पटवार क्षेत्र उड़ासर, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर, राजस्थान।		1. खेमाराम पुत्र रूपाराम उम्र 55वर्ष 2. हीराराम पुत्र रूपाराम उम्र 50वर्ष 3. गंगाराम पुत्र रूपाराम उम्र 45वर्ष 4. जेठाराम पुत्र रूपाराम उम्र 40वर्ष, सभी जातियान जाट, निवासी आलमसरिया, पटवार क्षेत्र उड़ासर, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर, राजस्थान। 5. रूखी पत्नी रूपाराम के वारीसान प्रतिवादी संख्या 1 से 4 6. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा धोरीमन्ना। 7. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।

मुकदमा नम्बर :– 56/2020

दावा बाबत् :– राजस्व वाद राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 92क, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा, बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रू–ब–रू ....–.......... व हाजरी श्री देवाराम चौधरी, अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदई एवं श्री रामनिवास विश्नोई मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि सरहद मौजा–आलमसरिया पटवार हल्का **उड़ासर, तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि** की वर्तमान जमांबदी के **खाता संख्या 37 के खसरा संख्या 19, 20, 52 रकबा क्रमशः 0.1781, 30.5942, 32.9495 हैक्टेयर किस्म क्रमशः गै.मु. ढाणी, बारानी सोयम, बारानी सोयम** की भूमि का बंटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैः–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा सं.	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	लगान (रुपए)	रंग
1.	पदमाराम, पूराराम पि. राजूराम, जोगाराम, मोतीराम, कोजाराम, जैसाराम पि. पूनमाराम, कौम जाट सा. देह खातेदार	20	1.8535	बारानी सोयम	0.45	केसरिया
		20	2.6385	बारानी सोयम	0.60	
		52	3.3912	बारानी सोयम	[illegible]	
2.	गिरधारीराम पुत्र पैमाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार	20	5.6656	बारानी सोयम	[illegible]	हरा
		52	2.2176	बारानी सोयम	[illegible]	
3.	रामचन्द्र, किशनाराम पि. वनाराराम, तारों देवी पत्नी	20	1.6025	बारानी सोयम	0.35	भूरा

26.07.23

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:42:17 IST
Reason: SelfAttested

	वनाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार	20	3.0270	बारानी सोयम	0.80	
		52	3.2537	बारानी सोयम	0.70	
4.	चेतनराम पुत्र पेमाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार	19	0.1781	गै.मु.ढाणी	–	नीला
		20	1.9991	बारानी सोयम	0.60	
		20	2.1934	बारानी सोयम	0.90	
		52	3.4479	बारानी सोयम	0.80	
5.	रामाराम पुत्र मगाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार	20	7.6081	बारानी सोयम	3.30	बैंगनी
		52	2.1691	बारानी सोयम	0.65	
6.	फुसाराम पुत्र ताजाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार	52	9.9391	बारानी सोयम	4.44	गुलाबी
7.	खेमाराम, हीराराम, गंगाराम, जेठाराम पि. रूपाराम, रूखी पत्नी रूपाराम, कौम जाट, सा. देह खातेदार	20	3.7474	बारानी सोयम	0.80	काला
		52	4.1359	बारानी सोयम	1.10	
8.	पदमाराम, पूराराम पि. राजूराम, जोगाराम, मोतीराम, कोजाराम, जैसाराम पि. पूनमाराम, गिरधारीराम पुत्र पेमाराम, रामचन्द्र, किशनाराम पि. वनाराम, तारों देवी पत्नी वनाराम, चेतनराम पुत्र पेमाराम, रामाराम पुत्र मगाराम, फुसाराम पुत्र ताजाराम, खेमाराम, हीराराम, गंगाराम, जेठाराम पि. रूपाराम, रूखी पत्नी रूपाराम, कौम जाट सा.देह खातेदार	52	4.2330	बारानी सोयम	0.85	लाल
		52	0.1619	गै.मु. रास्ता	–	
		20	0.2590	गै.मु. रास्ता	–	
	योग	19	0.1781		–	
		20	30.5941		9.18	
		52	32.9494		9.88	

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग माना जावे। वादी के कब्जे–काश्त में दखलअंदाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर जमा हो।

नीज..............–...............मुबलिक..................–............बाबत्.........–.........खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर.....–.........फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–............ को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26.07.23 को सरे ईजलास जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:42:17 IST
Reason: SelfAttested

(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

मोहर

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना
सत्यमेव जयते